

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सवाई सिंह बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर)

सू.अ.अपील संख्या 45/2023

न. व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में  
जारी हुए

तारीख हुकम

08-04-24

अपीलार्थी सवाई सिंह निवासी जूना बास, बालेसर सत्ता, बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21/07/23 में ग्राम पंचायत बालेसर सतां व उम्मेदनगर में खसरा नं. 868 में दिनांक 01.07.2019 से 01.09.2020 के मध्य तहसील कार्यालय द्वारा अवैध भूखण्डों पर जारी की गई सनदों की छायाप्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

